

Shri Suraj Bhan—Minister of Agriculture;

Shri Ram Jethmalani—Minister of Law and Justice;

Dr. Murli Manohar Joshi—Minister of Home Affairs;

Shri V. Dhananjaya Kumar—Minister of Civil Aviation;

Shri Pramod Mahajan—Minister of Defence and Parliamentary Affairs;

Shri Kariya Munda—Minister of Welfare;

Shri Suresh Prabhakar Prabhu—Minister of Industry;

Shri Sartaj Singh—Minister of Health and Family Welfare;

Shri Jaswant Singh—Minister of Finance;

Shrimati Sushma Swaraj—Minister of Information and Broadcasting.

ANNOUNCEMENT RE. RESIGNATION OF A MEMBER

MR. CHAIRMAN: I have to inform the Members that I had received a letter from Shrimati Leeladevi Renuka Prasad, a Member representing the State of Karnataka, resigning her seat in the Rajya Sabha and I accepted her resignation with effect from 22 April, 1996.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Bills passed by the Houses of Parliament during the 166th Session

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table a Statement (in English and Hindi) showing the Bills passed by the Houses of Parliament during the Hundred and Seventy-sixth Session of the Rajya Sabha and assented to by the President.

[Placed in Library. See No. LT—17/96]

ORDINANCES PROMULGATED BY THE PRESIDENT AND ALSO CORRIGENDUM TO ORDINAN-

रक्षा और संतरीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) महोदय निम्नलिखित पल सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 122 के खंड -2 के उपखंड (क) के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति -अंग्रेजी तथा हिन्दी में :-

(i) राष्ट्रपति द्वारा 26 मार्च, 1996 को प्रख्यापित माध्यस्थता और सुलह दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 11) ।

[Placed in Library. See No. LT—3/96].

(ii) राष्ट्रपति द्वारा 26 मार्च, 1996 को प्रख्यापित कोयला खान भविष्य-निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 12) ।

[Placed in Library. See No. LT—4/96]

(iii) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 13) ।

[Placed in Library. See No. LT—5/96]

(iv) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 14) ।

[Placed in Library. See No. LT—6/96]

(v) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 15) ।

[Placed in Library See No. LT—7/96]

(vi) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 16) ।

[Placed in Library. See No. LT—8/96]

(vii) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित निक्षेपाकार (दूसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 17) ।

[Placed in Library. See No. LT—9/96]

(viii) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 18) ।

[Placed in Library. See No. LT—10/96]

(ix) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित संविधान (अनु-सूचित जनजातियाँ; आदेश (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 19) ।

[Placed in Library. See No. LT—11/96]

(x) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (दूसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 20) ।

[Placed in Library. See No. LT—12/96]

(xi) राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1996 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 21) ।

[Placed in Library. See No. LT—13/96]

(2) निम्नलिखित अध्यादेशों के शुद्ध पत्र (अंग्रेजी में) :—

(i) राष्ट्रपति द्वारा 26 मार्च 1996 को प्रख्यापित माध्यस्थम और मुलह दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 11) ।

[Placed in Library. See No. LT—3/96]

(ii) राष्ट्रपति द्वारा 26 मार्च 1996 को प्रख्यापित कोयलाखान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 12) ।

[Placed in Library. See No. LT—4/96]

(iii) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 13) ।

[Placed in Library. See No. LT—5/96]

(iv) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 15) ।

[Placed in Library. See No. LT—7/96]

(v) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित निक्षेपाकार (दूसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 17) ।

[Placed in Library. See No. LT—9/96]

(vi) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन दूसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 18) ।

[Placed in Library. See No. LT—10/96]

(vii) राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (दूसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 20)।

[Placed in Library. See No. LT—12/96]

(viii) *भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 में प्रकाशित, कर्मचारी भविष्य निधि, और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश 2), दिनांक 5 जनवरी, 1996।

[Placed in Library. See No. LT—14/96]

(ix) *भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 में प्रकाशित, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश 3) दिनांक 5 जनवरी, 1996।

[Placed in Library. See No. LT—15/96]

(x) *भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 में प्रकाशित, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश 4), दिनांक 5 जनवरी, 1996।

[Placed in Library. See No. LT—15/96]

(xi) *भारत के राजपत्र दिनांक 19 अप्रैल 1996 में प्रकाशित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश 4) दिनांक जनवरी, 1996।

[Placed in Library. See No. LT—16/96].

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. B. CHAVAN): Mr. Chairman, Sir, May I make a small submission?

MR. CHAIRMAN: Yes, please.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, on 27th and 28th we do not have any business in the House. Twentyninth happens to be a holiday. Therefore, I would request that the House be adjourned till the 30th.

HON. MEMBERS: We support it.

ANNOUNCEMENT RE. CANCELLATION OF SITTINGS OF RAJYA SABHA

MR. CHAIRMAN: The suggestion is unanimously carried. And I have to inform the hon. Members that there is some change in the Muharram holiday. As Muharram is being observed on Wednesday, the 29th May, 1996, there will be no sitting of the House on that day. Instead, the House will sit on Thursday, the 30th May, 1996. The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Thursday, the 30th May, 1996.

The House then adjourned at thirtyone minutes past one of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 30th May, 1996.